परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव

जगदीश सिंह*
बी.पी. भारद्वाज**

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में स्कूली अध्यापकों पर दिए गए प्रमुख बिंदुओं— अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार; सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार; अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति; अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास तथा स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। साथ ही, इन बिंदुओं का विश्लेषण, भारत सरकार की विद्यालयी शिक्षा में केंद्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजना 'समग्र शिक्षा' की एक पहल 'विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार हेतु आकलन— परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर किया गया है। इस प्रकार यह लेख स्कूली अध्यापकों की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने के साथ-साथ सार्थक सुधार हेतु समुचित सुझाव भी प्रस्तुत करता है। जो संभवत: स्कूली अध्यापकों से जुड़े समस्त हितधारकों को मार्गदर्शित करने में सहायक होगा।

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है। भारत की पूर्व की शिक्षा नीतियों 1968 और 1986 व 1992 की नीति कार्ययोजना तथा हाल ही में लाई गई *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षा को बहुत अहम स्थान मिला है। इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में की गई अनुशंसाओं से संदर्भित भारतवर्ष में स्कूली अध्यापकों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं को उजागर करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में स्कूली अध्यापक विषय पर सुझाए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—

- अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार।
- सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार।
- अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति।
- अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास।
- स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता।

* *उप-सचिव*, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नयी दिल्ली 110 001
** *प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110 016

यदि इन बिंदुओं पर विषयवार चर्चा करें तो हमें आज देश में स्कूली अध्यापकों की भर्ती, तैनाती, सेवा, परिवेश उनके सतत पेशेवर विकास व अन्य क्षेत्रों की वस्तुस्थिति जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही, वर्तमान स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को समझते हुए आगे का रास्ता निकाल सकेंगे।

स्कूली अध्यापकों से जुड़े क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

'अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार' के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' की पहल परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई) 2018–19 के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा पी.जी.आई. के विभिन्न संकेतकों में अर्जित किए गए स्कोर के आधार पर एक सूचकांक प्रदान किया जाता है। पी.जी.आई. का मुख्य उद्देश्य कम सूचकांक अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कम अर्जित स्कोर वाले क्षेत्रों को मज़बूत करते हुए अग्रिम पंक्ति के अर्जित सूचकांक वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आने के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करना है, जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके। इसमें कुल 70 संकेतक (इंडीकेटर) हैं, जिनका कुल स्कोर 1000 है। अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार वाले बिंदु की सत्यता की जाँच हेतु पी.जी.आई. के तीन संकेतकों को संज्ञान में लेकर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है—

1. एक वर्ष में भर्ती हुए अध्यापकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए अध्यापकों की संख्या।
2. एक वर्ष में कुल स्थानांतरणों के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित अध्यापकों की संख्या।
3. एक वर्ष में नए मुख्य अध्यापकों या मुख्य अध्यापकों अथवा प्रधानाचार्यों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी व ऑनलाइन भर्ती प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य। इनमें प्रत्येक संकेतक का अधिकतम स्कोर 20 निर्धारित किया गया है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अर्जित स्कोर को एक निश्चित विधि से ग्रेडिंग में परिवर्तित किया जाता है। इस लेख के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उक्त संकेतक में अर्जित स्कोर को उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की उपलब्धता का आधार मानते हुए इन क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों को समझाने का प्रयत्न किया गया है।

राज्यवार प्रथम संकेतक का अवलोकन करने पर पता लगा कि वर्ष 2018–19 में पूर्ण 20 स्कोर वाले कुल 19 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश थे तथा इसके अलावा सात अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 रहा। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अध्यापक भर्तियाँ की व इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाया या इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए।

दूसरे संकेतक, जिसमें एक वर्ष में कुल स्थानांतरणों के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित अध्यापकों की संख्या का अवलोकन करें, तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में कुल 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थानांतरण में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली का प्रयोग किया। अध्यापकों की स्थानांतरण प्रणाली को पारदर्शी व ऑनलाइन बनाने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का यह इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

यदि हम पी.जी.आई. के एक अन्य संकेतक जिसमें एक वर्ष में नए नियुक्त प्रधानाचार्यों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में पूर्ण रूप से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या नौ थी अर्थात् नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। परंतु इस दिशा में सार्वभौमिक प्रयासों के लिए तथा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के स्कूली अध्यापक और अध्यापक शिक्षा के द्वितीय बिंदु 'सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार' पर चर्चा करते हैं। इसके लिए अध्यापकों के सेवा एवं परिवेश से संबंधित कुछ पहलुओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इनमें अध्यापकों की माँग व आपूर्ति तथा उनके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया को भी लिया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 में देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों में कुल 61.84 लाख स्वीकृत पदों में से 10.60 लाख पद (लगभग 17 प्रतिशत) रिक्त थे। यहाँ यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि कुल रिक्तियों के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन कार्यकारी अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। इससे इन अध्यापकों का न केवल अतिरिक्त कार्य ही बढ़ता है, अपितु उनका स्वयं का कार्य भी प्रभावित होता है। यदि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्यापक विषयवार होते हैं और यदि किसी विद्यालय में एक विषय के पद रिक्त हों तथा उस विषय का कोई और अध्यापक वहाँ पदासीन न हो तो उस विषय में विद्यार्थियों की कुशलता व दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में पठन-पाठन के अलावा अन्य कार्य भी अतिरिक्त रूप से इन्हीं कार्यरत अध्यापकों को ही करने पड़ते हैं, जो इस समस्या को और अधिक गंभीर बनाते हैं।

सेवा संस्कृति में सुधार हेतु अधिकारियों द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की निगरानी व पर्यवेक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली व नीपा, नयी दिल्ली भी शैक्षणिक निगरानी में भारत सरकार की मदद करते हैं। राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् या उसके समकक्ष संस्थान करते हैं। ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ज़िला

शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष तथा उनके अलावा ब्लॉक संसाधन व्यक्ति भी इस कार्य के लिए तैनात होते हैं। क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन व्यक्ति तथा विद्यालयों में मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य इस कार्य के लिए मौजूद होते हैं। उचित रूप से एक युग्मित पर्यवेक्षण न केवल शिक्षण गतिविधियों के सुधार हेतु, वरन् अधिकारियों को निर्देशात्मक सुधार करने हेतु एक सार्थक उपकरण है। मॉनिटरिंग व सुपरविज़न (अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण) में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं को एक-एक करके देखें तो यथास्थिति कुछ हद तक स्पष्ट होने की संभावना बनती है।

अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के शीर्षस्थ पदों पर अधिकारी का पदोन्नत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब हम पी.जी.आई. 2019 के एक महत्वपूर्ण संकेतक का अवलोकन करते हैं, जिसमें बताया गया है कि बीते 36 महीनों में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख सचिव, एस.पी.डी. एस.एस.ए. व एस.पी.डी. आर.एम.एस.ए. के पद औसतन कितने महीने भरे रहे। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 10 रखा गया है। वर्ष 2018–19 में 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर पाँच या उससे अधिक हो गया जिसमें पूर्ण 10 स्कोर अर्जित करने वाले सात राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग के ये शीर्षस्थ अधिकारी न सिर्फ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, अपितु अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण में भी इनकी अहम भूमिका होती है।

शीर्षस्थ अधिकारी के पद ज़्यादातर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं तथा इनमें लगातार स्थानांतरण व पदोन्नति की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे ये अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में आते-जाते रहते हैं। शीर्ष पर बैठे अधिकारियों की मजबूरी यह भी होती है कि उनका ज़्यादा रुझान प्रशासनिक कार्यों की ओर रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु देश में अलग से अखिल भारतीय शिक्षा प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य भी इसी प्रकार से अपनी सेवाओं में उचित प्रावधान कर सकते हैं।

यदि फ़ील्ड लेवल की बात करें, तो ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष तैनात होते हैं। इनका कार्य प्रशासनिक व शिक्षण के पर्यवेक्षण व निरीक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इनके पद पूर्ण रूप से नहीं भरे जाएँगे तो शीर्षस्थ अधिकारियों को ज़िले की शिक्षण गतिविधियों की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी तथा उन्हें ज़िला स्तर के विशिष्ट निर्णय लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हम पी.जी.आई. 2018–19 के एक और संकेतक की चर्चा करते हैं, जिसमें किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले व ब्लॉक में पिछले 36 महीने में औसतन कितने महीने तक अधिकारियों के पद भरे हुए थे। इसका अधिकतम स्कोर 10 रखा गया। वर्ष 2018–19 में कुल सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 था तथा 28 अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर पाँच से नौ था। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार तथा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु इन पदों का लगातार भरा रहना अति आवश्यक है।

अब हम पी.जी.आई. के एक अन्य संकेतक की बात करते हैं, जिसमें यह पता लगाया गया है कि कितने प्रतिशत विद्यालयों में वर्ष भर में कम से कम तीन बार शैक्षणिक निरीक्षण किया गया है। इसका अधिकतम स्कोर चार रखा गया। वर्ष 2018–19 में दो, तीन व चार स्कोर अर्जित करने वाले 15 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। हमें इस दिशा में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन शैक्षणिक अनुवीक्षण अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता है। ये अनुवीक्षण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किए जाने चाहिए ताकि उनसे एकत्रित आँकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में किया जा सके।

संकुल संसाधक केंद्र एवं ब्लॉक संसाधक केंद्र का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के दौरान किया गया था, ताकि ज़िला स्तर के अधिकारियों को फ़ील्ड स्तर पर इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके। क्लस्टर स्तर पर अनुवीक्षण तथा पर्यवेक्षण केवल प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता था। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों पर यह व्यवस्था लागू नहीं थी। परंतु अब समग्र शिक्षा में नर्सरी से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। नीपा के *यू-डाईस 2017–18* के अनुसार देश में 721 ज़िले, 7457 ब्लॉक व 82952 क्लस्टर मौजूद थे। यदि सभी संकुल संसाधक समन्वयक एवं ब्लॉक संसाधक समन्वयक के पद भरे हुए हों, तो देश भर में लगभग 90 हज़ार स्थानीय अधिकारी उपलब्ध होने चाहिए, जिन्हें लगभग 12.27 लाख सरकारी विद्यालयों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना है अर्थात् एक अधिकारी के हिस्से में इस कार्य हेतु लगभग 14 विद्यालय आते हैं। अब यदि एक वर्ष में 200 कार्य दिवस हैं, तो एक ब्लॉक संसाधक समन्वयक को अपने ब्लॉक में व एक संकुल संसाधक समन्वयक को अपने क्लस्टर में कम से कम 100 दिन विद्यालयों में तथा बाकी के 100 दिन अपने कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों में लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए उनके मौजूदा कार्य संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव किया जा सकता है।

इस प्रकार एक विद्यालय का तीन बार संपूर्ण निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक अधिकारी के पास लगभग सात दिन का समय होता है। इससे क्या वे दोनों ही स्थानों पर न्याय कर पाएँगे और अध्यापकों की सेवा संस्कृति को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएँगे। इसके अलावा, इनका दायित्व सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध करना भी है। इसके लिए इनके कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सुझाव दिया जा सकता है कि प्रत्येक ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर दो-दो समन्वयकों के पदों का प्रावधान किया जाए, जिसमें एक प्रशासनिक कार्य करेगा तथा दूसरा अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान संसाधन उपलब्ध कराने व विद्यालय निरीक्षण के कार्यों को करेगा।

अब हम पी.जी.आई. 2018–19 के संकेतक, किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य अध्यापक के भरे हुए पदों की प्रतिशतता की चर्चा करते हैं। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 20 रखा गया। वर्ष 2018–19 में 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 से 20 के बीच रहा, जिसमें पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले तीन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। इस

संकेतक से माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य अध्यापकों के पद भरे जाने की दिशा में सकारात्मक सुधार का संकेत मिलता है।

सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार हेतु उपरोक्त सभी मानव संसाधनों का विद्यालयों में समुचित प्रबंध होना अनिवार्य है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा भौतिक संसाधनों का भी आकलन करके उनमें सुधार किया जा सकता है, जो अध्यापकों की सेवा, परिवेश और संस्कृति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के स्कूली शिक्षा में अध्यापक की भूमिका व अध्यापक शिक्षा से जुड़े तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु 'अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति' के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देश भर में कुल अस्थायी अध्यापकों व राज्यों द्वारा लक्ष्य से कम सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की बात करेंगे।

यदि हम नीपा के *यू-डाइस* के वर्ष 2017–18 के फ्लैश आँकड़े देखें तो ज्ञात होता है कि देश भर में कुल विद्यालयी अध्यापकों की संख्या 92.47 लाख थी, जिसमें से लगभग 13 लाख अध्यापक अंशकालिक (पार्ट टाईम) तथा संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर कार्यरत थे, जो कि कुल अध्यापकों का लगभग 13 प्रतिशत से अधिक है।

अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के पूर्वकालीन दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एस.एस.ए.), जो कि वर्तमान में एकीकृत होकर समग्र शिक्षा हो गए हैं, में अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। हमें इन सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति ज्ञात करने के लिए पी.जी.आई. 2018–19 के दो संकेतकों का अध्ययन करना होगा। एक संकेतक के अनुसार, किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल मुख्य अध्यापकों या प्रधानाचार्यों के स्वीकृत लीडरशिप प्रशिक्षण में से कितने प्रतिशत ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा दूसरे में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल अध्यापकों के स्वीकृत सेवाकालीन प्रशिक्षण में से कितने प्रतिशत अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका अधिकतम स्कोर 20–20 रखा गया है। प्रथम संकेतक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में 11 से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 19 थी, जिसमें पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 थी। इस दिशा में सुधार हेतु कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

द्वितीय संकेतक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में 11 से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 थी, परंतु पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17 थी। अध्यापकों के सेवाकालीन स्वीकृति प्रशिक्षणों के लक्ष्य को किसी एक भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पूर्ण न किया जाना चिंतन का विषय है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्र व सभी राज्य सरकारों को विशेष प्रकार की पहल करने की आवश्यकता है, जिससे ये सेवाकालीन प्रशिक्षण समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सकें। इस विषय पर दिशानिर्देश तैयार करने होंगे तथा उनके अनुवीक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा,

चाहे उसके लिए अलग से एक निगरानी तंत्र क्यों न बनाना पड़े!

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के एक और पहलू, 'अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक (पेशेवर) मानकों का विकास' पर चर्चा करेंगे। नीति में यह कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को दिया गया है तथा यह मानक वर्ष 2022 तक विकसित करना है। इस हेतु देश में अध्यापकों की वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था का संज्ञान लेना होगा। सर्वप्रथम सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यापकों के सेवा संबंधी मानकों को एकसमान करना आवश्यक है। साथ ही अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है तथा इसे अध्यापकों के राष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ना अनिवार्य है ताकि हम राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार इन पाठ्यक्रमों व अध्यापकों के व्यावसायिक मानकों में तार्किक संबंध स्थापित कर सकें। अध्यापकों के राष्ट्रीय मानकों को शिक्षा जगत के विकास के अन्य क्षेत्रों में भी भली-भाँति उपयोग किया जा सकता है। इन मानकों के विकास के लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित निष्पादन संकेतक (पिनडिक्स) का अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें आधार मानकर अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास की रणनीति बनाई जा सकती है।

इस विषय की गंभीरता को जाँचने के लिए हम पी.जी.आई. के एक संकेतक के निष्पादन से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल कितने अध्यापकों का मूल्यांकन किया गया। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 10 रखा गया है। वर्ष 2018–19 में छह से दस स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 19 थी, जिसमें पूर्ण 10 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 14 थी। परंतु अध्यापकों के मूल्यांकन के विषय में सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से सजग नहीं हैं। इस विषय पर और अधिक गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास के उपरांत उनका उपयोग भी एक सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित करना होगा।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की एक और अनुशंसा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 'स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता' पर बल दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा में पूर्व-प्राथमिक से कक्षा बारहवीं तक दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इन सभी में अन्य प्रावधानों के अलावा विद्यालयों में विशिष्ट अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती सुनिश्चित करना भी शामिल है।

देश में आपूर्ति की यदि बात करें तो भारत पुनर्वास परिषद्, विशेष अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम की मान्यता देता है। मई 2021 तक यह परिषद् कुल 671 महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अलग-अलग स्तर के नियमित पाठ्यक्रमों और उनमें प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या को मान्यता दे चुका है। इसके अलावा 15 महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को पत्राचार के माध्यम से ये पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी गई है। इनमें बी.एड. स्पेशल एजुकेशन व डी.एल.एड. स्पेशल एजुकेशन की कुल सीटें 20 हज़ार से अधिक

हैं। यह परिषद् विशेष अध्यापकों का पंजीकरण भी करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाए और हम इन भावी विशेष अध्यापकों को समय पर रोज़गार उपलब्ध कराने में सक्षम हों।

आगे का रास्ता

अभी तक इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली चुनौतियों व समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इन चुनौतियों व समस्याओं को अवसर में बदलने का मौका भी हमें इसी शिक्षा नीति में नज़र आ रहा है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति में अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रक्रिया में सुधार लाते हुए पी.जी.आई. के अनुसार कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अध्यापकों की भर्ती और तैनाती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक यह ग्रेडिंग वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में की जा चुकी है। इस लेख में वर्ष 2018–19 का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमें प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलता है।

अब हम यहाँ इस बात की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहेंगे कि भारत के कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यापक भर्ती व तैनाती के वस्तुपरक मापदंड नहीं हैं। भर्ती की इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा अध्यापन कौशल के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रत्येक भाग के मापदंड व उनके स्कोर तय कर परख होनी चाहिए। इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया कैमरे व पर्यवेक्षकों की निगरानी में होनी चाहिए तथा इसके आँकड़े भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने पर सार्वजनिक होने चाहिए। इसी प्रकार अध्यापकों की तैनाती के भी वस्तुपरक मापदंड बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सभी कार्य एक निश्चित समयावधि में संपन्न करवाने की आवश्यकता है, साथ ही इसमें आवश्यकतानुसार लचीलापन का प्रावधान हो। शिक्षा के इस क्षेत्र में सुधार का सीधा प्रभाव स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर दिखाई देगा। इसके लिए सरकारें चाहें तो अलग से अध्यापक शिक्षा भर्ती बोर्ड का गठन कर सकती हैं।

सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार की असीम संभावनाएँ हमारे सामने विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे देश में लगभग 10.6 लाख सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पदों को पारदर्शी एवं वस्तुपरक मापदंडों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भरना होगा। साथ ही, प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापकों के स्थान पर नए अध्यापकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। ताकि विद्यार्थियों को अध्यापकों की गैर मौजूदगी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अध्यापकों की माँग व आपूर्ति को समझकर समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से संबंध रखता है। इस विषय में परिषद् को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन कर उस पर संज्ञान लेना होगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* इसके लिए समुचित सुझाव दे चुकी है। इस कदम से न केवल प्रशिक्षित बेरोज़गारों को लाभ मिलेगा, वरन् उन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा संस्थान खोलकर राहत मिल सकेगी, जहाँ प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है।

इसके अलावा, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों में पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण से जुड़े सभी अधिकारियों के पद क्लस्टर, ब्लॉक, ज़िला या राज्य स्तर पर समुचित रूप से भरे रहें। इससे प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चल सकते हैं तथा अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के विद्यालयों के पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। संकुल संसाधक समन्वयक एवं ब्लॉक संसाधक समन्वयक का प्रावधान अध्यापकों को ऑन साइट सहयोग तथा अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये अपने इस कार्य को समुचित रूप से करने में सक्षम हों। सभी विद्यालयों में नियमानुसार मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य की नियुक्ति चरणबद्ध व पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करनी होगी। शीर्षस्थ पदों के लंबे समय तक खाली रहने या अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति से बचने के लिए तथा इस स्तर के अधिकारियों के शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अनुभव की अपेक्षा करने के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा अलग से अखिल भारतीय शिक्षा सेवा तथा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सेवा की शुरुआत करने पर विचार किया जा सकता है।

अब यदि अध्यापकों के लिए सतत व्यावसायिक (पेशेवर) विकास और करियर प्रगति सुनिश्चित करनी है तो अंशकालिक व संविदा अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था को बंद करते हुए स्थायी व्यवस्था पर भर्ती करनी होगी। शिक्षा में व्याप्त इस भेदभाव को मिटाने मात्र से ही हम अध्यापकों को करियर प्रगति की तरफ सुदृढ़ कर सकते हैं। देश भर में सभी मुख्य अध्यापकों या प्रधानाचार्यों के पदों को भरना तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अलग से शिक्षा प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान करना भी इस दिशा में अहम भूमिका अदा कर सकता है।

इसके अलावा अध्यापकों के सेवाकालिक प्रशिक्षण के साथ-साथ उनके लिए उच्च शिक्षा व अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है, जो उनके लिए उत्साहवर्धक हो सकता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह प्रावधान किया गया है कि, "अध्यापकों को अपनी करियर प्रगति के लिए सतत व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे अपनी क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार से स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं एवं अन्य अध्यापक विकास मॉड्यूल्स में सहभागिता करना अनिवार्य होगा।" इस प्रक्रिया को वास्तविक रूप प्रदान करना होगा तथा इसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। जो अध्यापक इस दिशा में सराहनीय कार्य करें तथा शिक्षण-अधिगम के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री का निर्माण करें, तो उनकी गिनती विशिष्ट श्रेणी में की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं तथा राज्य भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें बदलाव कर समयबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं। इन सबके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत सभी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाते हुए समयबद्ध तरीके से अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति करें तथा उसका अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का समुचित प्रबंध भी करें।

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास की स्थिति देखें, तो अभी तक लगभग आधे से कम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अध्यापकों का वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का पूर्ण रूप से सजग न होना चिंता का विषय है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए किसी ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए पिनडिक्स व अन्य समकक्ष व्यवस्था के विश्लेषण के उपरांत कुछ मॉडल मानकों को तैयार कर उपयोग करना चाहिए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि, "अध्यापकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का उपयोग राज्यों द्वारा अध्यापक के करियर प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं, जैसे— उनका कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए पेशेवर विकास के प्रयास, उनकी वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अध्यापकों की अन्य पहचानों के लिए किया जा सकता है।" पदोन्नति व वेतन वृद्धि अध्यापकों के कार्यकाल पर नहीं, वरन् इसी मूल्याकंन के आधार पर होगी। ऐसी परिस्थिति में इन मानकों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही, एक ऐसा तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें अध्यापकों की पदोन्नति व वेतन वृद्धि व स्थायीकरण को लेकर कोई शिकायत न रहे तथा यह प्रक्रिया डिजिटल तकनीकी के पारदर्शितापूर्वक माध्यम से समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके।

स्कूली शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है। यदि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्णय के आधार पर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में कम से कम एक विशेष अध्यापक नियुक्त करना है, तो देश में लगभग 12.27 लाख सरकारी विद्यालय हैं। इस दिशा में भी विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा तथा स्थायी अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए जाने वाले अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं को शामिल करके इन अध्यापकों की सेवाएँ भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण कार्यों में ली जा सकती हैं। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन का अपव्यय न हो अर्थात् उन्हें समय पर रोज़गार उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था हो। अध्यापकों की सेवाएँ सामान्य बच्चों के शिक्षण में भी ली जा सकती हैं। इसके लिए इनकी सेवा शर्तों में बदलाव भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के अलावा स्कूली अध्यापकों व अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जिसमें मुख्य रूप से पाँच बिंदुओं, अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार, सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार, अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास, स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पर मार्गदर्शन दिया गया है। इस लेख में

प्रथम पाँच विषयों में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं का अध्ययन विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किया गया है तथा विश्लेषण के उपरांत आगामी मार्गदर्शन हेतु यथासंभव सुझाव भी दिए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पेपर में सुझाए गए उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जा सकता है ताकि स्कूली अध्यापकों व अध्यापक शिक्षा का सुधार करते हुए शिक्षा के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को आगे बढ़ाया जा सके।

संदर्भ

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की समग्र उन्नति. 21 जून, 2021 को https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/SARTHAQ_HI.pdf से प्राप्त किया गया है.

नीपा. *यू-डाइस 2017–18*. 20 जून, 2021 को https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home (retrieved date 20/09/2021) से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2018. *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लान्स, 2018*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2018. *एनालिसिस ऑफ़ बजट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम 2015–16 टू 2017–18*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 2019

———. 2019. *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, 2018–19*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/AR_2015-16%20ENGLISH.pdf से प्राप्त किया गया है.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/HRD%20AR%202016-17%20SE.pdf से प्राप्त किया गया है.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/MHRD%20AR-2017-18%20English.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/en/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf से प्राप्त किया गया है.

समग्र शिक्षा – विद्यालय शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना. 21 जून, 2021 को https://samagra.education.gov.in/docs/Framework_IISE%20_F.pdf से प्राप्त किया गया है.

सर्व शिक्षा अभियान. 21 जुन, 2021 को https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/Sarva%20Siksha%20Abhiyan.pdf – http://www.rehabcouncil.nic.in से प्राप्त किया गया है.